



प्रेस नोट - कार्यालय पुलिस अधीक्षक- जनपद महाराजगंज

जनपद महाराजगंज पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य का विवरण-दिनांक 01-07-2024

- *1. यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग-*** जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाड़ियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर ***137*** वाहनों का चालान किया गया।
- *2. शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-*** जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- ***46*** व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151 मे गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।
- *3. "मिशन शक्ति अभियान"*** के तहत नारी सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन के प्रति बालिकाओं/महिलाओं में सशक्तिकरण व विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से महाराजगंज पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर जाकर महिलाओं/बालिकाओं को किया गया जागरूक।
- *4. पैदल गश्त अभियान-*** श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपदीय पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बों में स्थित बैंक, एटीएम, ग्राहक सेवा केन्द्रों एवं अन्य वित्तीय प्रतिष्ठानों आदि के सुरक्षार्थ सघन चेकिंग अभियान चलाकर आस-पास खड़े संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चेकिंग की गई। नागरिकों एवं आम जनमानस से संवाद स्थापित कर प्रमुख चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया, जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। जनपदीय पुलिस द्वारा 34 एक्ट मे ***00*** व्यक्तियों के विरुद्ध व 110 जी मे ***00*** व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी।
- *5.*** पुलिस अधीक्षक महाराजगंज के निर्देशन में पुलिस अधिकारियों द्वारा जनपद मे शांति एवं कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने हेतु **संभ्रांत व्यक्तियों, धर्मगुरुओं, जनप्रतिनिधियों, कास्तकारों, किसानों** के साथ थानों में शान्ति समिति की बैठकें कर सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने एवं अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गयी।
- *6* . विवेचनाओं का निस्तारण-*** पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल- ***12*** विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

7* थानो द्वारा की गयी कार्यवाही -

थाना परसामलिक द्वारा की गयी कार्यवाही अभियुक्त सोनू विश्वकर्मा पुत्र रामसरन विश्वकर्मा निवासी चेहरी फार्म थाना कोतवाली जनपद महाराजगंज 2- जैश मोहम्मद पुत्र मुर्तजा निवासी परसामलिक थाना परसामलिक जनपद महाराजगंज के कब्जे से 1.8 कि०ग्रा० गाँजा बरामद करते हुए थाना स्थानीय पर मु०अ०स० 121/24 धारा, 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना सिन्दुरिया द्वारा की गयी कार्यवाही अभियुक्त अशोक पुत्र झग्गी निवासी पतरेंगवा थाना सिन्दुरिया जनपद महाराजगंज के पास से 15 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद करते हुए थाना स्थानीय पर मु०अ०सं०-185/24 धारा, 60(1)आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना निचलौल द्वारा की गयी कार्यवाही अभियुक्त सिन्धु पुत्र चोकट निवासी मिश्रौलिया थाना निचलौल जनपद महाराजगंज के पास से 05 ली० अवैध कच्ची नेपाली शराब बरामद करते हुए थाना स्थानीय पर मु०अ०सं०,334/24 धारा, 60/63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी। 2- रामनगीना भारती पुत्र रामधारी निवासी बजहाँ उर्फ अहिरौली थाना निचलौल जनपद महाराजगंज के पास से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद करते हुए थाना स्थानीय पर मु०अ०सं०,335/24 धारा, 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना बरगदवा द्वारा की गयी कार्यवाही अभियुक्त लाइची देवी पत्नी कोल्हई साहनी निवासी देवघट्टी थाना बरगदवा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 40 शीशी बन्टी बबली देशी शराब बरामद करते हुए थाना स्थानीय पर मु०अ०सं०,120/24 धारा, 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी। 2- अभियुक्त गोरख मिश्र पुत्र रमेश चन्द्र मिश्र निवासी शीशगढ टोला खैरहटा थाना बरगदवा जनपद महाराजगंज के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु०अ०स० निल/24 धारा 3/4 गुण्डा अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना कोल्हुई द्वारा की गयी कार्यवाही अभियुक्तगण इजहार पुत्र सिपारस अली निवासी सोनबरसा थाना कोल्हुई जनपद महाराजगंज 2- अर्जुन यादव पुत्र राजाराम निवासी सोनबरसा थाना कोल्हुई जनपद महाराजगंज 3- अभिषेक दूबे पुत्र शंभूनाथ दूबे निवासी मुंडली थाना कोल्हुई जनपद महाराजगंज के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु०अ०स० निल/24 धारा 3/4 गुण्डा अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना चौक द्वारा की गयी कार्यवाही अभियुक्तगण महावीर पुत्र केशव निवासी केवलापुर खुर्द थाना चौक जनपद महाराजगंज 2- राजेश जायसवाल उर्फ टाइगर पुत्र सुरेन्द्र जायसवाल निवासी ओबरी थाना चौक जनपद महाराजगंज के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु०अ०स० निल/24 धारा 3/4 गुण्डा अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

08. जनपद में 01/01-07-2024 को विभिन्न अपराधों में कुल- ***46*** अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।